



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email : ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in



सत्यमेव जयते

क.रा.बी.नि. हॉस्पिटल, अंकलेश्वर,
प्लॉट नं. H3012, 500 क्वार्टर पास,
अंकलेश्वर, जि. ભરૂચ
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लॉट नं. H3012,
500 क्वार्टर के पास, अंकलेश्वर, जौ.भरुच
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500
Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Website : www.esic.gov.in

375/अ/49/2019/क.रा.बी.नि./अंक/फाइल-2

24-04-2025

परिपत्र

विषय:- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों/टंककों को हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता योजना ।

संदर्भ - मुख्यालय के परिपत्र संख्या ए-49/16/02/2022-रा.भा.(ई-28915) दिनांकित 09 अप्रैल, 2025 ।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों/टंककों को हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता योजना के अनुसरण में सूचित किया जाता है कि औसतन 5 टिप्पणियाँ /प्रारूप/प्रपत्र/पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियाँ/प्रारूप/प्रपत्र/पत्र प्रति तिमाही टंकित करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टंककों को क्रमशः 240/- रु. तथा 160/-रु.भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। यह विशेष भत्ता नहीं माना जाएगा और इस राशि पर महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ता देय नहीं होगा। जो अंग्रेजी आशुलिपिक /टंकक इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, वे दोनों भाषाओं में कार्य शुरू करने से प्रारम्भिक 6 महीनों के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रतिमाह, उसके पश्चात प्रत्येक 3 माह में एक बार अपने कार्यालय की राजभाषा शाखा में भेजे।

उक्त पत्र चिकित्सा अधीक्षक महोदय के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

संलग्न: मुख्यालय पत्र।

Digitally signed by

KUMAR KUNJAN

Date: 24-04-2025

11:06:45 (कुंजर कुंजन)

सहायक निदेशक – राजभाषा प्रभारी

सेवा में,

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर ।
2. सहायक चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर ।
3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर।
4. समस्त सहायक निदेशक एवं शाखा अधिकारी वित्त/निर्माण/सामान्य/नकद/प्रशासन/मेडिकल स्टोर एवं सतर्कता शाखा, क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर ।
5. नोटिस बोर्ड एवं वैबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट: www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या : ए-49/16/02/2022-रा.भा.(ई-28915)

दिनांक: 09 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय : अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों/ टंककों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता।

महोदय/महोदया,

हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों/ टंककों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अधीन हिंदी में औसतन 5 टिप्पणियाँ/ प्रारूप/ प्रपत्र/ पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियाँ/ प्रारूप/ प्रपत्र/ पत्र प्रति तिमाही टंकित करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/ टंककों को क्रमशः 240/- रु. तथा 160/- रु. भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा और इस राशि पर महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

यह योजना, जिसके अंतर्गत हिंदी आशुलिपिक/ टंकक का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर दैनिक वेतन के रूप में अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ दी जाती हैं, जारी रहेगी। परंतु जब इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने लगेगा, तब से अग्रिम वेतन-वृद्धियों का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

जो अंग्रेजी आशुलिपिक/ टंकक इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, वे दोनों भाषाओं में कार्य शुरू करने से प्रारम्भिक 6 महीनों के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रतिमाह, उसके पश्चात् प्रत्येक 3 माह में एक बार अपने कार्यालय की राजभाषा शाखा में भेजें।

अनुरोध किया जाता है कि इसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य परिचालित कर इसका व्यापक प्रचार करें।

संलग्नक : अपेक्षित प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 09-04-2025
13:16:43
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. सभी शाखाएं, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)